



UPSI180007442021

न्यायालय Civil Judge Junior Division, Mahmudabad, Sitapur
पीठासीन अधिकारी- (Mayank Prakash), (उप० न्यायिक सेवा) - UP02293

मूलवाद सं० - Civil Suit/164/2021

हाशिमी आदि बनाम कन्हैयालाल

दिनांक-05.04.2021

प्रार्थना-पत्र 6ग मय शपथ-पत्र एवं प्रा० पत्र 8ग वादिनीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादिनीगण द्वारा प्रा० पत्र 6ग2 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि नक्शा नजरी संलग्न वाद-पत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित भूमि स्थित ग्राम अफसेरिया हुसेनपुर परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की वादिनीगण मालिक, काबिज हैं। नक्शा संलग्न वाद-पत्र में अक्षर सी,डी,ई,एफ से प्रदर्शित भूमि की पूर्व स्वामी श्रीमती बीना देवी थी, जिनसे जरिए बैनामा दिनांक 20.01.2016 को क्रय किया था। बैनामा दिनांक से वादिनीगण क्रयशुदा प्लॉट पर काबिज व दखील हो गई थी और प्लॉट के चारों तरफ वादिनीगण ने पक्की नींव निर्मित करवा दी थी। प्रतिवादी वादीय भूमि पर कब्जा करके उस पर पक्की दुकान निर्मित करा लेना चाहता है। अतः प्रतिवादी को उपरोक्त कृत्य करने से निषेधित किया जाय। वादी की ओर से सूची 9ग से 10ग मूल बैनामा दाखिल किया गया है।

वादिनीगण की ओर से दाखिल 10ग मूल बैनामे में दर्ज विक्रीत भूमि की चौहद्दी वाद-पत्र में दी गयी वादिनीगण के भूमि की चौहद्दी से मेल खाती है। वादिनीगण का प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 जा० दी० समर्थित शपथ-पत्र में कथन है कि इस प्लॉट पर प्रतिवादी कब्जा कर अपनी दुकान का निर्माण करा लेना चाहता है। वादिनीगण की ओर से दाखिल मूल बैनामे से प्रार्थना-पत्र के उपरोक्त अभिकथनों का इस स्तर पर समर्थन होता है। तदनुसार विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादी, प्लॉट अंश जिसे नक्शा नजरी संलग्न वाद-पत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम अफसेरिया हुसेनपुर परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर पर कोई हस्तक्षेप न करें। वादिनीगण आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रा०-पत्र 6ग दिनांक-22.04.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू० डि०)

महमूदाबाद,सीतापुर।

J.O. Code-UP-2293

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2

प्रार्थना-पत्र 8ग2 वादिनी की ओर से कमीशन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

न्यायहित में प्रा० पत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। बाद पैरवी सूची में नामित अगले क्रम के अधिवक्ता कमिश्नर को नोटिस जारी हो। कमिश्नर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू० डि०)

महमूदाबाद,सीतापुर।

J.O. Code-UP-2293

अजय/-